कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा
Office of the Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand
E-mail :eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 733 /7 सी0 दिनांक 29 अप्रैल 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषयः **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगैर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 19494/2016)**

संदर्भः **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्र सं0 2291/एफ0पी0/यू0के0/रोड/19494/2016 दिनॉक 01.04.2023 एवं आपका ई0डी0एस0 दिनॉक 12.04.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है:–

क्रम सं0	आपत्ति	निराकरण
1	बिन्दु सं0 1 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल के0एम0एल0 फाईल में अभी भी 3.20 है0 ही दर्शित हो रहा है। अतः सी0ए0 हेतु प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल के0एम0एल0 फाईल में 3.85 है0 दर्शाते हुये संशोधित के0एम0एल0 फाईन ऑनलाईन अपलोड करने का कष्ट करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रपत्र पार्ट । के एल0 सैक्शन में अपलोड कर लिये गये हैं तथा के0एम0एल0 भी सही कर ली गयी है।(प्रपत्र संलग्न है)
2	बिन्दु सं0 3 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट– ।। के पैरा–7 पर वन की सीमा से प्रस्तावित स्थल की अनुमानित दूरी 0.00 कि0मी0 अंकित की गयी है, जो आतिथि तक संशोधित नहीं की गयी है। अतः प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से दूरी ऑनलाईन यथास्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	यह बिन्दु लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।
3	बिन्दु सं0 4 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या में पैरा–5.3 में कोई भी टिप्पणी नहीं दी गयी है। कृपया उक्त के संबंध में भारत सरकार को आख्या प्रेषित की जा सके।	यह बिन्दु लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।
4	बिन्दु सं0 5 के क्रम में अवगत कराना है सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण (साईट विजिट) एवं मुआयना किया जाय, ताकि उक्त के संबंध में भारत सरकार को आख्या प्रेषित की जा सके।	यह बिन्दु लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।
5.	बिन्दु सं0 6 के अनुपालन में प्रस्तावित परियोजना का औचित्य एवं आवश्यकता के संबंध में प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया औचित्य प्रमाण पत्र (जस्टिफिकेशन) में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अतः संशोधित औचित्य प्रमाण पत्र	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मॉग का पूर्ण औचित्य पार्ट । के सैक्शन डी0 । में अपलोड कर लिया गया है।(प्रपत्र संलग्न है)

	(जस्टिफिकेशन) प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।	
6	बिन्दु सं0 9 के अनुपालन में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के जियो रैफिरेन्स मानचित्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के जिये रैफिरेन्स मानचित्र की मूल प्रति प्रभागीय वनाधिकारी से प्रमाणित कर प्रस्ताव के पार्ट–। एवं पार्ट ।। में यथास्थान अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रपत्र पार्ट । के एल0 सैक्शन में अपलोड कर लिये गये हैं (प्रपत्र संलग्न है)
7	बिन्दु संख्या–10 के अनुपालन में मलवा निस्तारण की गणना 3.00 मीटर के स्थान पर 6.00 मीटर चौड़ाई में करते हुये संशोधित मलवा निस्तारण योजना ऑनलाईन अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	मलवा निस्तारण की गणना 3.00 मी0 चौड़ाई के स्थान पर 6.00 मी0 चौड़ाई में कर ली गयी है। जिसमें **Annexure-1** प्रपत्र ही बदला जाना है, जो संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 5–5 प्रतियों में।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

पत्रांक 733 /7सी0 तद्‌दिनॉकित

प्रतिलिपि–सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।